कार्यालय– जिलाधिकारी, खगड़िया।
(जिला योजना कार्यालय)
अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय सांसद से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में खगड़िया जिला अन्तर्गत विभिन्न उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जिम उपस्कर सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 11.08.2021 को अपराह्न 2:00 बजे तक जिम निर्माताओं व निबंधित प्रतिष्ठानों से मुहरबंद लिफाफा में आमंत्रित निविदा प्राप्त की जाएगी। प्राप्त निविदा को दिनांक 12.08.2021 को अपराह्न 12:30 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वंय या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। जिम उपस्कर की विस्तृत सूची जिला योजना कार्यालय, खगड़िया से किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 10.08.2021 को अपराह्न 02:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। अथवा जिले के बेबसाईट khagaria.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें।

1. तकनीकी निविदा में 150000.00 (एक लाख पचास हजार) रूपये मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का लौटाने योग्य बैंक ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया के पदनाम से देय एवं खगड़िया में भुगतान योग्य हो, अग्रधन के रूप में संलग्न रहना चाहिए।
2. निविदादाता को प्रतिष्ठान का निबंधन प्रमाण–पत्र, फर्म का नाम, कार्यालय का पूर्ण पता, पिन कोड एवं प्रोपराईटर का आधार कार्ड की छायाप्रति देना अनिवार्य है।
3. निविदादाता को वाणिज्यकर/GST से निबंधित दस्तावेजों को संलग्न करना अनिवार्य है।
4. निविदादाता को लगातार तीन वर्षो (2018–19, 2019–20, 2020–21) का आयकर रिटर्न की प्रति एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता का Turn Over पिछले तीन वषों में प्रत्येक वर्ष 10000000.00 (एक करोड़) रूपये से अधिक होना अनिवार्य है। (सत्यापन के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा ऑडिटेड Profit & Loss और Balance Sheet संलग्न करें)
6. सांसद निधि योजना के अन्तर्गत विगत वर्षो में सरकारी विद्यालयों में जिम उपस्कर सामग्रियों की आपूर्ति करने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।
7. निविदा में भाग लेने वाले जिम उपस्कर निर्माता व अधिकृत विक्रेता के पास फर्म की गुणवत्ता के लिए ISO 9001:2015 प्रमाण–पत्र छाया प्रति देना अनिवार्य होगा।
8. निविदा में जिम उपस्कर के निर्माता या उनके द्वारा अधिकृत निबंधित प्रतिष्ठान ही भाग ले सकते हैं।
9. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र देना होगा।
10. निविदादाता को सभी जीम उपस्कर सामग्रियों का रंगीन कैटलॉक जिसमें सभी उपस्कर का विवरण एवं विशिष्टियाँ अंकित हो देना होगा।
11. निविदादाता के पास किसी भी सरकारी संस्थाओं में सामग्रियों की आपूर्ति करने का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए जेम पोर्टल (Government e marketplace) से निर्गत Contract/CRAC (Consignee Recipt & Acceptance Certificate) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य है।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें–

01. वित्तीय निविदा में उपलब्ध सूची के अनुसार सामग्री का नाम एवं प्रति इकाई दर सभी कर सहित देना होगा।

(ग) सामान्य शर्तें–

01. जिला योजना कार्यालय, खगड़िया में मुहरबंद निविदाएँ निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किया जाएगा।
02. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में होना चाहिए।
03. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
04. सभी सामग्रियों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन संबंधित विद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
05. कार्यादेश के अनुरूप सभी सामग्रियों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन निर्धारित समय सीमा के अंदर चिन्हित विद्यालयों में करना होगा, जिसका उक्त स्थल तक का भाड़ा एजेंसी द्वारा देय होगा। अन्यथा संबंधित फर्म की राशि जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
06. निविदादाता को जीम उपस्कर सामग्रियों का रख–रखाव (Maintenance) कम्पनी वारंटी के अतिरिक्त एक वर्ष तक करना होगा।
07. टैक्स की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
08. विवाद की स्थिति में न्यायालय खगड़िया का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
09. बिना कारण बताए निविदा को स्वीकृत/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
10. किसी विवाद के स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

ह०/–

उप विकास आयुक्त
खगडिया।

ज्ञापांक 377 / जि०यो०, दिनांक 03.08.2021

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

03/08/21

उप विकास आयुक्त
खगड़िया।